


संचिका सं०-10/अनु०-05-01/2015.....(647/10)/ 07.09.15  
बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश संख्या-616(10), दिनांक-26.08.2015 में अधोलिखित संशोधन किया जाता है:-

2. स्वीकृत्यादेश की कंडिका-4 में अंकित "निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उपाधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी" के जगह "निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना" होंगे।


3. शेष यथावत रहेंगे।

  
(शेखर चन्द्र वर्मा)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-10/अनु०-05-01/2015 (647/10) /स्वा०, पटना, दिनांक:- 07.09.15

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/संबंधित सिविल सर्जन/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7, 10/अन्य सभी सहायक/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।